UPPG010047272026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (एच०जे०एस०) जे०ओ० कोड–UP 1713
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1941/2026

अमित कश्यप उम्र लगभग 22 वर्ष सुत सोहनलाल निवासी ग्राम सरदार नगर, थाना भमोरा जनपद रायबरेली।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोगी

मु०नं०– 259/2026
धारा–137(2), 87 बी.एन.एस.
थाना– पट्टी
जिला–प्रतापगढ़

दिनांक 23.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **अमित कश्यप** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–259/2026, धारा–137(2), 87 बी.एन.एस.थाना–पट्टी, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–28.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी अनिल कुमार मिश्र सुत श्री रमाकान्त मिश्र ग्राम डेईडीह धौरहरा, थाना कोतवाली पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। प्रार्थी की भतीजी अनन्या उम्र करीब 16 वर्ष जो भगौती प्रसाद इण्टरमीडिएट कालेज रमईपुर दिशिनी (पृथ्वीगंज) थाना कोतवाली पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में कक्षा 11 में पढ़ती है। दिनांक 13.06.2026 को दोपहर करीब 11 बजे अनामिका अपने वर्थडे मनाने के बहाने बुलायी, बुलाने पर मेरी भतीजी साइकिल से उसके घर गयी लेकिन अनामिका व उसके भाई आशीष कुमार द्वारा उसको बहला फुसलाकर कहीं गायब कर दिया गया है। गायब करने में अनामिका व उसके भाई आशीप कुमार, पीयूप, माता सुशीला देवी पिता बालचन्द, बहन दीपिका उर्फ पूनम, राधिका उर्फ उमा इन सभी लोगों द्वारा मिलकर मेरी भतीजी को भगाने में संलिप्त है। देर शाम तक भतीजी घर वापस नहीं आयी तब प्रार्थी अपने परिजनों के साथ उसे सहेली अनामिका के घर पता लगाने गया, अनामिका के घर जाकर पूछताछ किया पहले तो अनामिका के पिता व भाई व माता ने इधर उधर की बात करते रहे काफी प्रयास के बाद अनामिका के पिता एवं भाई ने बताया कि आपकी लड़की को अमित कुमार ले गया है जिसका मोनं 7454008898 है अनामिका के पिता से यह जानकारी मिली कि अमित के बारे में उनकी लड़कियां अनामिका उर्फ रिया, दीपिका उर्फ पूनम तथा राधिका उर्फ उमा एवं लड़का आशीष ने जानकारी दिया है। अनामिका के पिता वालचन्द्र ने काफी प्रयास के वाद अपनी

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.23 16:17:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लडकियों का नंबर बताया जो 9277273867, 8840354365 व 8840354364 है। उपरोक्त जानकारी के बाद प्रार्थी घर आकर अपनी भतीजी के स्कूली बैग व कमरे की तलाशी लिया तो उसके स्कूली बैग में एक मोबाइल फोन व एक कागज की पर्ची भी मिली जिस पर अनामिका के फोन नं के साथ कुछ और नंबर लिखे थे मोबाइल व पर्ची प्रार्थी के पास सुरक्षित है प्रार्थी अपनी भतीजी की तलाश अपने संसाधनों से करके निराश होकर श्रीमान जी को सूचना दे रहा है। प्रार्थी को अनामिका व उसके भाई, पिता व माता व वहनों के आचरण एवं व्यवहार से पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रार्थी की भतीजी का यौन दुरूपयोग करने की नीयत से अपहरण करा दिया गया है। अन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. **जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 03 घण्टे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियोजन कहानी में पीडिता को वादी मुकदमा व अन्य किसी व्यक्ति द्वारा घर से जाते हुए किसी ने नहीं देखा है कि कथित पी़डिता कब व किसके साथ गयी सिर्फ नामित अभियुक्ता अनामिका के पिता के बताने के आधार पर आवेदक का नाम प्रकाश में लाया गया है। आवेदक ने इस प्रकार कोई घटना कारित नहीं की है। अभियोजन कहानी व पीडिता के 180 व 183 बी.एन.एस. के बयान में काफी भिन्नता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन कहानी झूंठी है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो किसी न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–28.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा अनिल कुमार मिश्रा की भतीजी अनन्या (नाबालिग) को बहला फुसला कर गायब करने का आरोप है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि** आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा अनिल कुमार मिश्रा की भतीजी अनन्या (नाबालिग) को बहला फुसला कर गायब करने का आरोप है। पीडिता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी.एन.एस.एस. में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि दिनांक 13.06.2026 को घर वालों द्वारा डांट दिया गया था, जिस कारण वह गुस्से में घर से निकल गई थी। वह अमित

निवासी बरेली को पूर्व से जानती थी तथा फोन से बातचीत करती थी। घर से निकलने के बाद वह ट्रेन पकड़कर प्रयागराज गई जहां से बरेली पहुंची और अमित को फोन से बुलाकर उसके साथ उसके घर गई तथा इसके पश्चात दोनों हिमांचल प्रदेश चले गये। पीड़िता ने यह भी कहा है कि उसने अभियुक्त को अपनी उम्र 20 वर्ष बताई थी। पीडिता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी.एन.एस.एस. में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि वह दिनांक 12.06.2026 को इंस्टाग्राम पर कृष्णा यादव से बात चीत करती थी। उसके चाचा ने देख लिया और उसे मारा पीटा। वह दिनांक 13.06.2026 को अपने घर से निकली, जहां रास्ते में मनीष गिरी नामक व्यक्ति मिला, जिसने उसे प्रयागराज छोड़ दिया। प्रयागराज से वह बरेली अमित कश्यप के घर पहुंची। जहां से वह दोनों हिमांचल प्रदेश चले गये। उसकी अमित से दोस्ती हो गई तथा घर का माहौल अच्छा नहीं होने तथा उसके साथ मारपीट होने से वह घर से गुस्से से गई थी। उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। अनामिका, दीपीका, राधिका उसके मित्र हैं, जिन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। आशीष कुमार, पियूष, सुशीला देवी, बालचन्द्र को वह नहीं जानती है न ही उनसे कोई संबंध है। दोनों बयानों में परस्पर विरोधाभाष है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–28.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये अभियुक्त का मामला जमानत के लिए उपयुक्त है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त **अमित कश्यप** द्वारा मु०अ०सं०–259/2026, धारा–137(2), 87 बी.एन.एस. थाना–पट्टी, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार रूपये** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL– 07/ Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक–23.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट),
प्रतापगढ़।

स्टेनों–सुनील कुमार पटेल–।